

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा
व भू.अ.नि. कोट्टी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा / नायब
तहसीलदार रेलमारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या ७६ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राजपुरा	७६	मोहनी बाई पति स्व. कालुराम गाडरी राइन स्टेट बैंक ऑफ़ नीकावेर एण्ड जयपुर शाखा राजपुरा दरीवा	मोहनी बाई पति स्व. कालुराम गाडरी राइन - स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा राजपुरा - दरीवा

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 385
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री कोट्टी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर